

कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

[उत्तर प्रदेश, लखनऊ]

संख्या:- प्राविध/परिषद/सम्बद्धता/2021/3537

सम्बद्धता दिनांक: 09/08/2021

:-आदीनाम ज्ञाप:-

अधिन भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली फार्मसी परडमिस्स ओफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदित प्रदान किए जाने के अर्थात प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30000 लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यलय में सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संबन्धित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य शर्तों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुषंग में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30000 लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अधिक प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1140-N K B R INSTITUTE OF PHARMACY & RESEARCH, FAFUNDA, MEERUT			
क्र.सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ब0आई0सी0टी0ई0पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0आई0सी0टी0ई0पी0सी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद पब्लि 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1962, संशुद्ध विनियमवली-2016 तथा अन्य विहित विधियों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वार्षिक इंजीन पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30150 00/- प्रतिवर्ष, दो वार्षिक फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रु० 45000 00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वार्षिक पाठ्यक्रमों (दो वार्षिक फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु० 22500 00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से वसूल किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समव-समय या हासन द्वारा निर्णय किये जाने वाले गारन्टिड कामाची होंगे, और सदुत्तर कार्यवाही

किन्ना जलज आवश्यक होगा। कौशल निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु पीसा का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो पीसा की लचीलताम दरे लागू होगी।

- ✓ संस्था को (30000 प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उच्च समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाता) विनियमसवली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए0आई0सी0टी0ई0एच0सी0आई0 से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाता आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कलावे गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, 30000, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, 30000 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30000 द्वारा कलाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये कार्य्य होगी।
- ✓ विपरीत इत फार्मों पर पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी सी आई, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में सफल रहती है तो इस संबंध में सरकार उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था अपने उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निर्देशकालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा ल्यायामय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ विपरीत इत फार्मों पर पाठ्यक्रम संघालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश अखिल-उ द्वारा प्रायोजक डॉ के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व ए0सी0आई0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद, कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा इन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत लचीलताम आसक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, सज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षा-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वलायान उपलब्ध करने के साथ रचित होकर के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में परस्तायित संघालित पाठ्यक्रम को कलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-मजल, कर्मचार, उपकरण इत्यादि पर यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संघालन में प्रवेश किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति की जाएगी।
- ✓ संस्था के स्थलीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, मजल, परीगहन, उपकरण एवं अन्य सज-सज्जा ए0आई0सी0टी0ई0एच0सी0आई0 परिषद के मानकनुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनारमक कार्यवाही की जाएगी।

8/16/2021

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पु0सं0- प्राशिया/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिलिपि:-

पधानाचार्य/निदेशक, N K B R INSTITUTE OF PHARMACY & RESEARCH, FAFUNDA, MEERUT



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

**कार्यालय,
राष्ट्रीय शैक्षणिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश सरकार।**

संख्या- प्राथम/परिषद सम्बद्धा/2019/1132

लघुसंख्या दिनांक 15-6-2019

—कार्यालय आग—

अधिसूचित राष्ट्रीय शैक्षणिक शिक्षा परिषद द्वारा दिसंबर मास 2018-20 हेतु विस्तार प्राप्त करने वाली शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के अलावा शैक्षणिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश सरकार से सम्बद्धा/सम्बद्धा विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-6-2019 से अद्यतन शैक्षणिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार की अद्यतन वेबसाइट पर पोस्ट करके सार्वजनिक रूप से आम जनता के बीच संचार हेतु; किन्तु वे मास 2018-20 हेतु अधिसूचित नई संस्थाओं को सम्बद्धा/पूर्व से सम्बद्धा संस्थाओं को सम्बद्धा विस्तार/सम्बद्धा/पूर्व संस्था को सम्बद्धा/पूर्व संस्था हेतु मास 2018-20 हेतु सम्बद्धा प्रदान करने वाले का निर्णय लिया गया।

यहां से अनुक्रम में सम्बद्धा संस्थों की सूची के पृष्ठ-2 में दिखाना इन फार्मों की प्रतिलिपि प्रदान करने वाली नई संस्थाओं को प्रदान किया गया। सम्बद्धा संस्थों द्वारा प्रदान विस्तार-विस्तार का विवरण निम्नलिखित किया गया -

एम्बेड्डेडसीडीआईओ द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में संलग्नक-2 में अंकित पूर्व से सम्बद्धा विस्तार फार्मों की संख्या में संशोधन द्वारा विचार-विमर्श किया गया और सार्वजनिक से संलग्नक-2 में अंकित संस्थाओं को मास 2018-20 हेतु सम्बद्धा विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय इस तर्क के साथ लिया गया कि संस्थाओं को विस्तारों इन फार्मों की प्रतिलिपि प्रदान करने में प्रथम वर्ष में प्रवेश की संसुति मास 2018-20 हेतु संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित कौन्सिलियर द्वारा होने के पूर्व सीडीआईओ अनुमोदन पर परिषद कार्यालय को उपलब्ध करने के उपरांत ही की जाएगी।"

अब निम्नानुसार उल्लिखित संस्था को परिषद की निर्देशन संस्थों एवं विस्तार-विस्तार द्वारा की गयी संसुति तथा सम्बद्धा संस्थों द्वारा किये गये निर्णय के अलावा या शैक्षणिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मास 2018-20 हेतु विस्तारित करने के अलावा अनुक्रम में प्रदान अधिसूचित प्रदान प्रदान हेतु सम्बद्धा प्रदान की जाती है -

क्र. सं.	संस्था का नाम	संस्था का नाम	संस्था का नाम	परिषद द्वारा प्रदान 2018-20 में अनुमोदन प्रदान	परिषद द्वारा प्रदान 2018-20 में अनुमोदन प्रदान
1	1140	एम्बेड्डेडसीडीआईओ द्वारा प्रदान करने वाली संस्था	विस्तार इन फार्मों	न	न

सम्बद्धा हेतु नई

- ✓ संस्था एम्बेड्डेडसीडीआईओ द्वारा निर्देशन की गयी नई या पूर्व प्रदान की गयी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शैक्षणिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदान तथा शैक्षणिक शिक्षा परिषद विस्तारों की नई या पूर्व प्रदान विस्तार प्रदान एवं अधिसूचित या अनुमोदन प्रदान तथा सुदूर निर्देशन प्रदान द्वारा निर्देशन प्रदान की गयी।

